एफ.सं. 13/2/2002-बीपी एंड एल/बीसी-IV
भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
प्रसारण विंग
नई दिल्ली
दिनांक : 11 नवम्बर, 2005

आवेदन पत्र (पीडीएफ फार्मेट में) डाऊनलोड करें

टेलीविजन चैनलों की डाऊनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने सार्वजनिक रूप से देखे जाने हेतु भारत में डाऊनलिंक किए गए/प्राप्त/प्रसारित तथा पुनः प्रसारित सभी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की डाऊनलिंकिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, कोई भी व्यक्ति/सत्ता उस चैनल को डाऊनलिंक नहीं करेगी, जिसका पंजीकरण इन दिशानिर्देशों के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है। इससे आगे, दूसरे देशों से अपलिंक की गई टेलीविजन सैटेलाइट प्रसारण सेवा (टीवी चैनल) को भारत के दर्शकों को प्रदान करने वाले सभी व्यक्ति/सत्ता तथा कोई भी सत्ता जो भारत में सार्वजनिक रूप से देखे जाने हेतु प्राप्य टेलीविजन सैटेलाइट प्रसारण सेवा (टीवी चैनल) को प्रदान करने की इच्छुक है, उसे इन दिशानिर्देशों के तहत नीचे निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुमति प्रदान करनी होगी।

ये दिशानिर्देश नीचे दिए गए अनुसार हैं :

1. आवेदक कम्पनियों हेतु पात्रता मानदंड

1.1 विदेश से अपलिंक किए गए चैनल को डाऊनलिंक करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली सत्ता (अर्थात आवेदक कंपनी) को, अपने इक्विटी ढांचे, विदेशी स्वामित्व या प्रबंधन नियंत्रण के निरपेक्ष, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में एक पंजीकृत कंपनी होना चाहिए।

1.2 आवेदक कंपनी का भारत में मुख्य व्यापार स्थल के साथ भारत के वाणिज्यिक उपस्थिति होनी चाहिए।

1.3 आवेदक कंपनी का सार्वजनिक रूप से देखे जाने हेतु डाऊनलिंक किए जाने वाला चैनल या तो स्वयं का हो या भारतीय क्षेत्र में विज्ञापन एवं उपभोक्ता राजस्व के अधिकार सहित विशेष तौर पर इसके लिए विपणन/वितरण अधिकार होने चाहिए।

1.4 यदि आवेदक कंपनी के पास विशेष विपणन/वितरण अधिकार है तो इसके पास विज्ञान, ग्राहक बनाने और कार्यक्रम विषय-वस्तु हेतु चैनल की तरफ से अनुबंध करने का अधिकार भी होना चाहिए।

1.5 आवेदक कंपनी के पास नीचे निर्धारित न्यूनतम निवल पूंजी होनी चाहिए :

मद	कंपनी की आवश्यक निवल पूंजी
1. एक चैनल की डाऊनलिंकिंग हेतु	1.50 करोड़ रू.
2. प्रत्येक अतिरिक्त चैनल हेतु	1.00 करोड़ रू.

1.6 आवेदक कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के लिए सीईओ, सीएफओ तथा विपणन अध्यक्ष इत्यादि जैसे मुख्य कार्यकारियों और कंपनी के सभी निदेशकों का नाम तथा विवरण आवश्यक रूप से प्रदान करना होगा।

1.7 आवेदक कंपनी को डाऊनलिंकिंग तथा वितरण हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपस्करों/औजारों के निर्माताओं के नाम तथा पता, नामकरण, मेक, मॉडल जैसा तकनीकी विवरण तथा डाऊनलिंकिंग एवं वितरण प्रणाली का ब्लॉक योजनाबद्ध चित्र प्रस्तुत करना होगा और 90 दिनों तक रिकार्ड का संग्रहण करने तथा अनुरक्षण हेतु सुविधाओं को भी प्रदर्शित करना होगा।

1.8 आवेदक कंपनी को इन दिशानिर्देशों के तहत ऐसी अनुमति प्राप्त करने के अयोग्य घोषित न किया गया हो।

2. <u>डाऊनलिंक किए जा रहे चैनलों के पंजीकरण हेतु पात्रता मानदण्ड</u>

2.1 केवल वे ही कंपनियाँ जिन्हें उपरोक्त खण्ड 1 के अनुसार, डाऊनलिंक करने की अनुमति प्रदान की गई हो/पात्र घोषित किया हो, चैनलों के पंजीकरण हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

2.2 डाऊनलिंक किए गए चैनल को देश के प्रसारण विनियामक या लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा प्रसारित करने की अनुमति या लाइसेंस प्रदान किया गया हो, इसका प्रमाण आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा।

2.3 पंजीकृत किए जा रहे चैनल को आवेदन के समय इन दिशानिर्देशों के तहत अपंजीकृत न किया गया हो।

2.4 किसी भी समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रमों वाले चैनलों को डाऊनलिंक किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, यदि यह निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता हो :

2.4.1 कि यह भारतीय दर्शकों के लिए लक्षित कोई विज्ञापन जारी नहीं करेगा;

2.4.2 कि इसे विशेष तौर पर भारतीय दर्शकों के लिए डिजाइन नहीं किया है;

2.4.3 कि यह एक स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय चैनल है;

2.4.4 कि देश के विनियामक प्राधिकरण द्वारा इसकी अपलिंकिंग को देश में प्रसारण की अनुमति प्रदान की गई है;

बशर्ते सरकार मामले-दर-मामले आधार पर खण्ड 2.4.1 के तहत दी गई शर्त को आशोधित/छूट प्रदान कर सकती है।

2.5 इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ कोई चैनल, जिसकी कार्यक्रम विषय-वस्तु में समाचारों या वर्तमान घटनाक्रमों का भाव हो, को समाचार एवं वर्तमान घटनाक्रम वाला चैनल माना जाएगा।

2.6 वे कम्पनियाँ जिनके चैनलों को वर्तमान में डाऊनलिंक किया जा रहा है, को इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से 180 दिन के भीतर इन चैनलों के पंजीकरण की औपचारिकताओं को अनुपालना करनी होगी। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तारीख से 180 दिन के भीतर इन दिशानिर्देशों के तहत अपने संबंधित चैनलों हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी।

3. <u>पंजीकरण एवं अनुमति की अवधि</u>

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रत्येक चैनल को शुरू में 5 वर्ष की अवधि हेतु पंजीकरण प्रदान करेगा, जिसे वर्तमान नियमों के अनुसार इसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। आवेदक कंपनी को अधिकतम पॉच वर्ष के लिए एक या अधिक वर्षों हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी, जो चैनल के पंजीकरण के साथ को-टर्मिनस होगी।

4. <u>पंजीकरण शुल्क एवं अनुमति शुल्क</u>

4.1 आवेदक कंपनी को प्रत्येक चैनल के लिए 5 लाख रू. पंजीकरण शुल्क अदा करना होगा, जो पॉच वर्षों की अवधि हेतु शुरूआती पंजीकरण के लिए देय होगा। पॉच वर्षों से अधिक का विस्तार उपरोक्त निर्धारित दर पर दुबारा से पॉच वर्षों की अवधि के लिए होगा।

4.2 इन दिशानिर्देशों के तहत दूसरे देशों से अपलिंक किए गए तथा भारत में डाऊनलिंक करने की अनुमति प्राप्त प्रत्येक कंपनी को अनुमति प्राप्ति करार पर हस्ताक्षर <u>करने से पहले 5 लाख रू. की राशि शुरूआती शुल्क के तौर पर अदा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कंपनी को 1 लाख रू. की राशि प्रति चैनल प्रति वर्ष वार्षिक शुल्क के तौर पर अदा करनी होगी।</u>

4.3 अपलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत भारत में चैनल डाऊनलिंक करने की अनुमति प्राप्त कम्पनी को प्रत्येक चैनल को अलग से पंजीकृत करवाना होगा।

5. मूलभूत शर्तें/दायित्व

5.1 पंजीकृत चैनलों को डाऊनलिंक करने की अनुमति प्राप्त कंपनी को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित किए गए कार्यक्रम एवं विज्ञापन कोड की अनुपालना करनी होगी।

5.2 टीवी प्रसारण अधिकारों वाले खेल चैनलों/खेल अधिकार प्रबंध कम्पनियों को भारत या विदेश में आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय महत्व की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं की प्रसारण सामग्री को निम्नलिखित शर्तों के तहत क्षेत्रीय प्रसारण एवं डीटीएच प्रसारण (फ्री-टू-एयर) के लिए तुरंत प्रभाव से प्रसार भारती को उपलब्ध करवाना होगा :

5.2.1 राष्ट्रीय महत्व की स्पर्धाओं का निर्धारण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय, प्रसार भारती तथा संबंधित खेल चैनलों/खेल अधिकार प्रबंध कंपनियों के साथ परामर्श से किया जाएगा। क्रिकेट स्पर्धाओं के मामले में, इनमें भारत द्वारा खेले जाने वाले सभी मैच तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के सेमीफाइनल तथा फाइनल मैच शामिल होंगे।

5.2.2 उपरोक्त शर्तें प्रसारण अधिकारों के मौजूदा अनुबंधों में शामिल की गई स्पर्धाओं सहित भविष्य की सभी स्पर्धाओं पर लागू होंगी। तथापि, उन क्रिकेट स्पर्धाओं के मामले में जिनके प्रसारण अधिकार खेल चैनलों/खेल अधिकार प्रबंध कंपनियों द्वारा इस मामले में अधिसूचना जारी होने से पहले प्राप्त कर लिए हैं, अधिकार धारी को भारत द्वारा खेले जाने वाले सभी मैचों तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के फाइनल मैचों की प्रसारण सामग्री आवश्यक रूप से बॉटनी होगी।

5.2.3 प्रसार भारती इस सामग्री का प्रसारण अपने क्षेत्रीय चैनल और क्षेत्रीय नेटवर्क और/या सेटेलाइट/डीटीएच के माध्यम से संचालित फ्री-टू-एअर, चैनलों पर करेगी।

5.2.4 स्पर्धाओं के अधिकारों (क्षेत्रीय तथा सेटेलाइट/डीटीएच) की मार्केटिंग का निर्णय प्रसार भारती तथा अधिकार धारी के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से किया जाएगा।

मार्केटिंग अधिकार उस पार्टी को मिलने चाहिए जो राजस्व को अधिकतम बढ़ाने का दावा करती है।

5.2.5 अधिकार धारी के पक्ष में 75:25 का राजस्व शेयरिंग फार्मूला बिना किसी न्यूनतम गारंटी/अवसर के लागू किया जाना चाहिए।

किसी भी विवाद की स्थिति में, मामले को मध्यस्थों के अनुमोदित पैनल में से सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।

5.3 आवेदक कंपनी को समय-समय पर टीवी चैनलों की विषय-वस्तु के विनियमन हेतु सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य कोड/मानक दिशानिर्देशों/प्रतिबंधों की अनुपालना करनी होगी।

5.4 आवेदक कंपनी को भारत में इसके वाणिज्यिक संचालनों के वार्षिक लेखा-परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना होगा।

5.5 आवेदक कंपनी को किसी भी स्तरोन्नयन, विस्तार या डाऊनलिंकिंग और वितरण प्रणाली/नेटवर्क संरूपण में कोई भी परिवर्तन करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

5.6 आवेदक कंपनी सैटेलाइट टीवी सिग्नल रिसेप्शन डिकोडर केवल केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकृत एमएसओ/केबल संचालक या भारत सरकार द्वारा जारी डीटीएच दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत डीटीएच संचालक को ही प्रदान करेगी।

5.7 आवेदक कंपनी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इसका कोई भी चैनल जो अपंजीकृत है या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 या डीटीएच दिशानिर्देशों के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत भारत में जिसके दूरदर्शन प्रसारण या प्रसारण या पुन: प्रसारण पर रोक लगाई गई है, वह भारत में इनक्रिप्शन या अन्य किसी तरीके से प्राप्त न किया जा सके।

5.8 केन्द्र सरकार को सार्वजनिक हित में या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में चैनल के दुरूपयोग को रोकने के लिए एक विनिर्दिष्ट अवधि हेतु कंपनी की अनुमति/चैनल के पंजीकरण को निलम्बित करने का अधिकार होगा। कंपनी को इस संबंध में जारी किए गए किन्हीं भी निदेशों की तुरंत अनुपालना करनी होगी।

5.9 किसी चैनल को डाऊनलिंक करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदक करने वाली कंपनी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जा रही अनुमति की तारीख से एक वर्ष के भीतर चैनलों को संचालित करना होगा, ऐसा करने में विफल रहने पर इस संबंध में बिना कोई नोटिस जारी किए अनुमति को वापस लिया जा सकता है। हालांकि, ऐसी वापसी से पहले कंपनी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

5.10 कंपनी/चैनल को देश में प्रसारण सेवाओं को विनियमित तथा मॉनीटर करने के लिए स्थापित किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदण्डों, नियमों एवं विनियमों की अनुपालना करनी होगी।

5.11 आवेदक कंपनी को कंपनी के निदेशक पदों में, मुख्य कार्यकारियों या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में किसी बदलाव की स्थिति में, ऐसे बदलाव के 15 दिनों के भीतर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचना प्रदान करनी होगी। इसे इसके निदेशकों और मुख्य कार्यकारियों में ऐसे परिवर्तन हेतु सुरक्षा मंजूरी भी प्राप्त करनी होगी।

5.12 आवेदन कंपनी डाऊनलिंक किए गए कार्यक्रमों का रिकार्ड 90 दिनों की अवधि तक बनाए रखेगी तथा जब कभी भी आवश्यक होगा इसे सरकार की किसी भी एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

5.13 आवेदक कंपनी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर मॉगी जाने वाली सूचनाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

5.14 आवेदक कंपनी को, जब कभी भी आवश्यक होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि या किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा कार्यक्रमों या विषय-वस्तु की मॉनीटरिंग हेतु अपनी स्वयं की लागत पर आवश्यक मॉनीटरिंग सुविधा उपलब्ध करवानी होगी।

5.15 आवेदक कंपनी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी डाऊनलिंकिंग दिशानिर्देशों विशिष्ट डाऊनलिंकिंग अनुमति करार तथा चैनल के पंजीकरण में निर्धारित शर्तों एवं बाध्यताओं की अनुपालना करनी होगी।

5.16 किसी युद्ध, प्राकृतिक आपदा/राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की स्थिति में सरकार को किसी या सभी चैनलों की डाऊनलिंकिंग/प्राप्ति/प्रसारण और पुन: प्रसारण पर एक विनिर्दिष्ट अवधि तक रोक लगाने का अधिकार होगा। कंपनी को इस संबंध में जारी ऐसे दिशानिर्देशों की तत्काल अनुपालना करनी होगी।

6. <u>अपराध तथा दण्ड</u>

6.1 यदि किसी चैनल को किसी आपत्तिजनक अनाधिकृत विषय-वस्तु, संदेशों या सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल सामग्री का संचार करते हुए पाया जाता है/पाया गया है या पैरा 5.8 या पैरा 5.16 में दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने में विफल पाया जाता है तो दी गई अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा तथा अन्य लागू कानूनों के तहत दण्ड के प्रावधानों के अतिरिक्त कंपनी को भविष्य में पॉच वर्षों की अवधि के लिए ऐसी किसी अनुमति को प्राप्त करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चैनल के पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा तथा पॉच वर्षों की अवधि हेतु नए पंजीकरण हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.2 इन दिशानिर्देशों के पैरा 6.1 में निहित प्रावधानों के अध्यधीन, यदि अनुमति धारक और/या चैनल अनुमति की शर्तों एवं नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है, या इन दिशानिर्देशों के किसी और प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निम्नलिखित दण्डों को लागू करने का अधिकार होगा :-

6.2.1 प्रथम बार उल्लंघन करने पर, कंपनी की अनुमति और/या चैनल के पंजीकरण को निलम्बित कर दिया जाएगा तथा 30 दिनों तक प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी।

6.2.2 दूसरी बार उल्लंघन करने पर, कंपनी की अनुमति और/या चैनल के पंजीकरण को निलम्बित कर दिया जाएगा तथा 90 दिनों तक प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी।

6.2.3 तीसरी बार उल्लंघन करने पर, कंपनी की अनुमति और/या चैनल के पंजीकरण को निरस्तर कर दिया जाएगा तथा अनुमति की शेष अवधि के लिए प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी।

6.2.4 यदि अनुमति धारक निर्धारित समय अवधि के भीतर दिये गये दण्डों की अनुपालना करने में विफल रहता है तो अनुमति और/या पंजीकरण को निरस्त कर दिया जाएगा तथा अनुमति की शेष अवधि के लिए प्रसारण पर रोक लगा दी जाएगी एवं भविष्य में पॉच वर्षों की अवधि के लिए नए सिरे से अनुमति और/या पंजीकरण प्राप्त करने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.2.5 पैरा 5.8, 5.16 या 6.2 में बताए गए अनुसार अनुमति निलम्बित किए जाने की स्थिति में, अनुमति धारक शुल्क भुगतान सहित अनुमति मंजूरी करार के तहत अन्य बाध्यताओं को पूरा करना जारी रखेगा।

6.2.6 अनुमति और/या पंजीकरण को निरस्त किए जाने की स्थिति में, भुगतान किए गए शुल्कों को जब्त कर लिया जाएगा।

6.2.7 उपरोक्त सभी दण्ड अनुमति धारक को लिखित में नोटिस दिए जाने के बाद ही लागू किये जाएंगे।

7. <u>विवाद का निपटान</u>

7.1 अनुमति मंजूरी करार के तहत या इसके संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या भिन्नता की स्थिति में, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनका निर्णय अनुमति मंजूरी करार के तहत विशेष रूप से दिया गया है, इसे केवल सचिव, विधि मामले विभाग या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के पास ही मध्यस्थता हेतु भेजा जाएगा।

7.2 ऐसी नियुक्ति पर इस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं होगी कि मध्यस्थ सरकारी कर्मचारी है। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा सभी पार्टियों के लिए मान्य होगा। यदि वह मध्यस्थ, जिसके पास मामला मूल रूप से भेजा गया था, स्थानांतरित किया जा रहा हो या अपने कार्यालय को खाली कर रहा हो या किसी भी

अन्य कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो सचिव, विधि मामले विभाग किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थता के तौर पर कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा।

7.3 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 उसके तहत बनाए गए नियम तथा उनमें किया गया कोई भी आशोधन, जो उस समय लागू हो, को उपरोक्त मध्यस्थता प्रक्रियाविधि में लागू माना जाएगा। मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली या ऐसा स्थान होगा जिसका निर्णय मध्यस्थ द्वारा किया जाता है। मध्यस्थता प्रक्रियाविधि अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी।

7.4 उपरोक्त किसी या प्रत्येक संदर्भ पर निर्णय देने के लिए आयोजित प्रक्रियाविधि पर लागतों, ब्याज या आकस्मिक खर्चों का मूल्यांकन मध्यस्थ अपने विवेक से करेगा।

8. <u>अनुमति मंजूरी और चैनलों के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया विधि</u>

8.1 आवेदक कंपनी को भारत में टीवी चैनलों की डाऊनलिंकिंग करने की अनुमति प्रदान करने हेतु इसकी पात्रता का मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों और पूरे विवरण के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को आवेदन करना होगा। प्रत्येक आवेदन फार्म के साथ वापस न लौटाए जाने वाले प्रक्रिया शुल्क हेतु दस हजार रू. का डिमांड ड्राफ्ट लगा होना चाहिए।

8.2 आवेदक कंपनी को इन दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी दस्तावेजों के साथ डाऊनलिंकिंग किए जा रहे/डाऊनलिंक किए जाने वाले प्रत्येक चैनल का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा।

8.3 आवेदन की जांच करने के बाद यदि आवेदक कंपनी को पात्र पाया जाता है, तो इसे सुरक्षा मंजूरी हेतु गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। इसी दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सार्वजनिक रूप से देखे जाने हेतु भारत में डाऊनलिंक करने के लिए प्रस्तावित चैनल की उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगा।

8.4 यदि आवेदक कंपनी तथा प्रस्तावित चैनल को उपयुक्त पाया जाता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आवेदक कंपनी तथा चैनल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ अनुमति मंजूरी करार हेतु पंजीकृत करेगा।

8.5 हस्ताक्षरित करार की प्राप्ति पर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संबंधित चैनलों के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा तथा आवेदक कंपनी को निर्धारित अवधि हेतु भारत के प्रासंगिक चैनलों को डाऊनलिंक करने के लिए अनुमति प्रदान करेगा।

8.6 हस्ताक्षरित प्राप्ति तथा चैनलों के पंजीकरण पर, आवेदक कंपनी को अपने चैनलों के सिग्नल प्राप्त करने/डाऊनलिंक करने तथा इनके आगे प्रसारण/पुन: प्रसारण/वितरण हेतु एमएसओ/केबल हेड एंड संचालकों/डीटीएच संचालकों से सम्पर्क करने का अधिकार होगा।

नोट :

कोई भी केबल संचालक या डीटीएच सेवा प्रदाता, इस अधिसूचना के जारी होने के 180 दिन बीत जाने के बाद, उस किसी भी टेलीविजन चैनल को अपनी केबल/डीटीएच नेटवर्क में शामिल या प्रसारित नहीं करेगा जिसे इन दिशानिर्देशों के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है। इस संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमावली 1994 तथा डीटीएच दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों को अलग से अधिसूचित किया जा रहा है।